आवेदन क्रमांक | आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 200.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

नगर परिषद् क्षेत्र जावरा में साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन प्रपत्र

उज्जैन सहकारी दुग्ध संध मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456001
दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

मोनो **उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित**
मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456001 (म.प्र.)
दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063
E-mail :- udsmktg7@gmail.com

साँची मिल्क पॉर्लर संचालन हेतु एजेन्ट नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रण

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित, उज्जैन द्वारा नगर परिषद क्षेत्र जावरा में निम्न स्थानों पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु साँची मिल्क पॉर्लर के संचालन के लिए ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है, जिनका जिला रोजगार कार्यालय रतलाम में पंजीयन हो :–

1– बस स्टेण्ड, जावरा इंदिरा गांधी प्रतिमा स्टेचू मेन रोड़।
2– पिपलौदा चौराहा दुर्गा माता मंदिर दिवारके पास मेन रोड़ जावरा।
3– नगर पालिका क्वाटर गेट के पास सिविल अस्पताल रोड़, जावरा।
4– पिपली बाजार हॉकर जोन दुकान नं. 15 के पास पिपल पेड़ के बीच में, जावरा।
5– पुरानी धान मण्डी हाथा, गांधी मूर्ति के पास, मस्जिद के सामने।
6– कोर्ट परिसर मेन गेट साईड, जावरा।

इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति निर्धारित आवेदन पत्र रूपये 200/– के नगद भुगतान पर दुग्ध संयंत्र रतलाम कार्यालय से दिनांक 31/07/2020 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 20/08/2020 दोपहर 12:00 बजे तक क्रय कर सकते है अथवा एमपीसीडीएफ की वेब साईट www.mpcdf.nic.in से डाउनलोड़ कर आवेदन मूल्य का डी.डी. संलग्न कर सकते है। प्रत्येक आवेदन के साथ राशि रू. 10,000/– का डी.डी. उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय हो बातौर ई.एम.डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त माने जाऐंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 20/08/2020 अपरान्ह 01:00 बजे तक है। प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 20/08/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे समिति एवं आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में लॉट्री ड्रॉ के माध्यम से एजेन्ट का चयन किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन एवं आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज के अभाव में आवेदन पत्र को लॉटरी हेतु सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

किसी एक या समस्त आवेदन पत्र को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बिना कारण बताये स्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा एवं यह निर्णय समस्त कानूनी परिधि से मुक्त रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए www.mpcdf.nic.in से लॉग इन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मूल्य रू. 200 / –

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

आवेदन प्रक्रिया एवं प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 31 / 07 / 2020 प्रातः 11:00 बजे
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	20 / 08 / 2020 दोपहर 12:00 बजे तक
3	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	20 / 08 / 2020 अपरान्ह 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने तथा लॉट्री ड्रॉ की तिथि एवं समय	20 / 08 / 2020 अपरान्ह 3:00 बजे
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	10,000=00 (दस हजार मात्र) उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मुल्य	रूपये 200 / – (दो सौ मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सीरोड़ उज्जैन
8	साँची मिल्क पॉर्लर हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तों का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
9	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र – 03
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 04

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र क्रमांक 01 ''तकनीकी अर्हताएं'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''सामान्य शर्त प्रपत्र क्रमांक 3 आवेदन पत्र एवं प्रपत्र क्र. 4 अनुबंध का प्रारूप एक साथ एक ''बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर **नगर परिषद् स्थान ....जावरा** हेतु ''साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों की अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- बिना पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र – 01, 02, एवं 03 के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
- आवेदन के साथ प्रपत्र क्रमांक 05 पर साँची दूध, दुग्ध उत्पाद एवं घी की वर्तमान दर संरचना संलग्न है। आवेदनकर्ता सभी व्यापारिक एवं पूंजी निवेश का पूर्ण विश्लेषण करने के पश्चात ही आवेदन करें।

प्रपत्र 01

तकनीकी अहर्ताएं

क्र.	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र ।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	आवेदनकर्ता संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
4	जिला रोजगार कार्यालय रतलाम से जारी पंजीयन क्रमांक		जिला रोजगार कार्यालय रतलाम से जारी पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
5	आवेदनकर्ता विकलांग होने पर विकलांगता का प्रमाण पत्र।		प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
6	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
7	फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड/ लायसेन्स/वोटर कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है। (कोई एक प्रमाण पत्र)		छायाप्रति संलग्न करें।
8	खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अन्तर्गत (FSSAI) रजिस्ट्रेशन/लायसेन्स की छायाप्रति अथवा नवीन लायसेन्स बनवाने हेतु किये गये आवेदन की रसीद।		छायाप्रति अथवा नवीन लायसेन्स बनाने हेतु किये गये आवेदन की रसीद संलग्न करें।
9	शैक्षणिक योग्यता के रूप में अंकसूची (न्यूनतम कक्षा 10 वी या 12 वी उत्तीर्ण हो)		अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें।
10	ई.एम.डी.		मूल डी.डी. संलग्न करें।
11	आवेदन पत्र के मूल्य का डी.डी. (यदि आवेदन वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तों) अथवा दुग्ध संघ द्वारा जारी मूल एम.आर.		मूल एम.आर/डी.डी. संलग्न करें।
12	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का वचन पत्र, Self Declaration)		वचन पत्र, Self Declaration संलग्न करें।
13	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत् का वचन पत्र, Self Declaration)		वचन पत्र, Self Declaration संलग्न करें।
14	आवेदनकर्ता स्वयं को अथवा उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को नाम		वचन पत्र, Self Declaration एवं समग्र आई.डी. की प्रति

	से कहीं भी साँची मिल्क पॉर्लर आवंटित न हो। (इस बाबत् का वचन पत्र, Self Declaration एवं समग्र परिवार आई.डी नम्बर)		संलग्न करें।

नोटः–

1. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई है) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा आवेदन स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता की पूर्ण आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर सम्पूर्ण आवेदन प्रपत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
3. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची मिल्क पॉर्लर को निरस्त कर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायीक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर ....

नाम——————————————

पता——————————————
——————————————
——————————————
दूरभाष नम्बर ——————————————
मोबाईल नम्बर ——————————————

(सामान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

नगर परिषद् क्षेत्र जावरा में साँची मिल्क पॉर्लर आवेदन हेतु
आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 10,000/– (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) डी.डी. आर्नेस्टमनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आर्नेस्टमनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।

3. एक आवेदनकर्ता एक ही आवेदन भर सकेगा। किसी भी अथवा समस्त आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

4. आवेदक स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा यदि दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ का व्यावसाय कर रहे है तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

5. आवेदक को तकनीकी अर्हता पूर्ण होने पर ही लॉटरी ड्रॉ में सम्मिलित किया जावेगा। यदि किसी स्थान के लिए एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होता है तो उसको चयनित किया जाएगा। एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होने पर चयन लॉटरी द्वारा किया जावेगा।

6. प्राप्त आवेदनों में से चयन हेतु प्राथमिकता निम्नानुसार होगा :–
   - शारीरिक रूप से विकलांग (महिला/पुरूष) जो कि पॉर्लर संचालन करने हेतु सक्षम हो।
   - महिला ।
   - भूतपूर्व सैनिक।
   - अन्य सामान्य आवेदक।

7. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

8. आवेदक के पास FMCG वस्तुओं का पूर्व विक्रय अनुभव होना चाहिए तथापि क्षेत्र में नवीन कार्य आरंभ करने के इच्छुक आवेदक भी आवेदन कर सकते है।

9. आवेदन स्वीकृति होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की आर्नेस्टमनी राजसात कर भविष्य के लिए काली सूची में दर्ज किया जाएगा।

10. वर्तमान में जिस व्यक्ति/फर्म के विरूद्ध दुग्ध संघ का कोई भी न्यायीक प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, ऐसे व्यक्ति/फर्म आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

11. प्राप्त आवेदनों में यदि कोई ऐसे आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा, जिसका दुग्ध संघ में रिकॉर्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

12. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् आवेदनकर्ता को स्वयं का सत्यापित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)

13. एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। इस बाबत् आवेदनकर्ता को स्वयं का सत्यापित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न है)

14. आवेदनकर्ता स्वयं अथवा उसके परिवार के जिन सदस्यों के नाम आवेदनकर्ता की समग्र आई.डी में जुड़े हुए हो के नाम से कहीं भी साँची पॉर्लर आवंटित नहीं हो ना चाहिए।

15. आवेदक को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत प्रतिभूति राशि रूपये 50,000/– (अक्षरी पचार हजार रूपये मात्र) आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगी, नगद जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

16. आवेदक के पास दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित भंडारण हेतु एवं उचित प्रशीतन हेतु विक्रय की क्षमता अनुसार डीप–फ्रीज (क्षमता 500 लीटर) होना आवश्यक होगा।

17. पॉर्लर संचालक को साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी की प्रदायगी संबंधित साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरकों के माध्यम से होगी। पॉर्लर संचालक को अपनी मांग कम से कम एक दिवस पूर्व वितरक को लिखित में देना होगी।

18. पॉर्लर संचालक को दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। साथ ही पॉर्लर संचालक को तीन वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर दोनों पक्षों के सहमत होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार वृद्धि की जा सकेगी।

19. पॉर्लर संचालक को आवंटित कार्यक्षेत्र में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा।

20. पॉर्लर संचालक को जो भी विक्रय लक्ष्य दिये जाते है उनको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, लक्ष्य प्राप्ति के अभाव अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

21. दो जमानतदार की जमानत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप संलग्न है।)

22. पॉर्लर के रखरखाव एवं सुरक्षा संबधी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप संलग्न है।)

23. पॉर्लर पर सॉची दूध, दुग्ध पदार्थ, के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंधित पदार्थ/वस्तुओं का विक्रय नहीं करेंगे ऐसा शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

24. प्रतिभूति जमा होने औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आवेदक को एक पॉर्लर गुमटी दुग्ध संघ के निर्माण स्थल पर सुपूर्द की जावेगी। सुपूर्दगी पश्चात इसे आवंटी स्थल तक ले जाने एवं स्थापित कराने की पूर्ण कार्यवाही/व्यय आवंटित को करना होगे। पॉर्लर छोडने की दशा में पार्लर गुमटी जैसे दी गई थी, वैसी स्थिति में डेरी संयंत्र से पहुंचाकर सुपूर्दगी देना होगी।

25. पॉर्लर आवंटन पश्चात पॉर्लर संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान के अन्तर्गत (FSSAI) रजिस्ट्रेशन/लायसेन्स की छायाप्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।

26. पॉर्लर आवंटन पश्चात पॉर्लर संचालक को गुमास्ता बनवाकर छायाप्रति दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगी।

27. पॉर्लर गुमटी आवेदक को सुपुर्दगी के पश्चात प्रथम दिन से ही उसकी पूर्ण सुरक्षा एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी आवंटी की होगी। रख–रखाव हेतु संघ द्वारा वर्तमान मासिक दर रूपये 500/– प्रमिमाह + 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त के मान से 01 वर्ष का अग्रिम (जो भविष्य में दुग्ध संघ प्रबंध द्वारा बढ़ाया भी जा सकेगा) आवंटी को सीधे नगर परिषद् जावरा में जमा कर जमा रसीद की छायाप्रति दुग्ध संघ में जमा कराना होगा।

28. संबंधित निकाय द्वारा आवंटित भूमि का समय–समय पर निर्धारित किराया आवंटी (पॉर्लर एजेन्ट) द्वारा सीधे निकाय में जमाकर रसीद दुग्ध संघ में जमा कराना होगा।

29. आवंटी को अपने स्वंयं के नाम से स्वयं के व्यय पर विद्युत समायोजन कराना होगा, इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा अनुशंसा स्वरूप अनापत्ति पत्र दिया जावेगा। विद्युत उपभोग का मासिक देयक नियत समय पर जमा कराने की जिम्मेदारी पॉर्लर एजेन्ट की रहेगी।

30. संघ द्वारा आवंटी गुमटी को आवंटी न तो किसी को हस्तांतरित, दान, विक्रय, या किराये पर देना नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो तत्काल पॉर्लर आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।

31. यदि आवंटी द्वारा पॉर्लर छोड़ा जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा उस पर किसी भी मद में (यथा निकाय किराया, विद्युत बिल आदि।) बकाया राशि काटकर शेष राशि भुगतान की जावेगी।

मेरे द्वारा साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हुं/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 32 तक वर्णित शर्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन (म.प्र.)

नगर परिषद् क्षेत्र जावरा में साँची मिल्क पॉर्लर हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या, उज्जैन

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

विषय :– पॉर्लर हेतु आवेदन बाबद्।

महोदय,

प्रार्थी आवेदन प्रपत्र में प्रपत्र क्रमांक 01 से 04 पर दी गई जानकारी को पढ़ एवं समझकर नीचे दिये विवरण आधार पर साँची मिल्क पॉर्लर स्थापित करने हेतु अपनी जानकारी सहित आवेदन प्रस्तुत कर रहा है।

पॉर्लर हेतु आवेदित स्थान :– ....

1. आवेदक का नाम :–..
2. पिता / पति का नाम :–..
3. दूरभाष / मोबा. क्रमांक :–..
4. स्थायी पता :–..
   :–...(दस्तावेज संलग्न करें।)
5. शैक्षणिक योग्यता...(छायाप्रति संलग्न करें।)
6. जन्मतिथि ....आयु...................वर्ष...
7. वर्तमान व्यवसाय :– ....
8. जिला रोजगार कार्यालय रतलाम पंजीयन क्र. ....
   (जिला रोजगार कार्यालय रतलाम में पंजीयन क्रमांक की छायाप्रति साथ में संलग्न करें।)
9. ई.एम.डी. राशि का विवरण :– ....
   (1) डी.डी. क्रमांक एवं दिनांक ....
   (2) राशि रु. ....

10. चाहे गये स्थल से दुग्ध व दुग्ध उत्पादों की अपेक्षित बिक्री रुपये में प्रति दिवस

दुग्ध ....

दुग्ध पदार्थ ....

योग ....

11. सांची पार्लर से 100 लीटर दूध व प्रतिदिन लक्ष्य अनुरुप उत्पाद बिक्री करने की शर्त स्वीकार हैं। ....
मासिक किराया (बिजली बिल पृथक से) ....
जमा करने की शर्त स्वीकार हैं। ....

12. (अ) (आवेदक की पारिवारिक वयस्क ....अवयस्क...........कुल........पृष्ठ भूमि)
(ब) क्या परिवार के सदस्य अन्य व्यावसाय में संलग्न है.....................................
(विवरण देवे या दस्तावेज संलग्न करें)
(स) पॉर्लर आवंटन की दशा में परिवार के अन्य सदस्य पॉर्लर संचालन में सहयोग दे सकेंगे/नहीं दे सकेंगे.......................... ।

13. (अ) पॉर्लर आवंटन की दशा उपभोक्ताओं को घर पहुंच सेवा की सुविधा दी जावेगी/नहीं दी जावेगी...................................... ।
(ब) घर पहुंच सेवा के लिए व्यवस्था किस माध्यम से की जावेगी –
1. परिवार सदस्यों के द्वारा।
2. वेतन आधार पर कर्मचारी रखकर।
3. प्रतिलीटर कमीशन अधार पर।

14. क्या आवेदक के नाम से वर्तमान में कोई अचल सम्पत्ति है.......................... । (विवरण देवे एवं वर्तमान मुल्य रूपये ....लाख में)

15. क्या आवेदक के नाम से सयुक्त कोई अचल सम्पत्ती है, जिसमें आवेदक हिस्सेदार हो। (विवरण देवे एवं वर्तमान मुल्य रूपये......................लाख में)

16. आवेदक व्यावसाय कितनी पूँजी लगा सकता है।
रूपये ....आयकर पेन नं...

17. जमानतदार (1) का नाम ....कार्य...
पता ....
फोन नं. ....
मासिक आय (रुपये) ....

18. जमानतदार (2) का नाम ....कार्य...
पता ....
फोन नं. ....
मासिक आय (रुपये) ....

(एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है।)

नोट :–

1. जमानतदार द्वारा जमानत देने पर यदि एजेंट द्वारा दुग्ध संघ को दिये जाने वाली कोई राशि एजेन्ट पर बाकि रहती है तो, उसको वसूलने हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर भी कार्यवाही करेगा।
2. आवेदित स्थान पर सांची पार्लर आवंटित होने की स्थिति में निर्धारित स्थान से नगर निगम/अन्य संस्थाओं द्वारा यदि आउटलेट हटाया जाता है या कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो होने वाले नुकसान की वसूली आवेदक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।
3. सांची पार्लर आवंटन होने पर आवेदक को दुग्ध संघ के साथ राशि रु. 500/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध की सभी नियम एवं शर्तें आवंटी को मान्य होंगी तथा रु. 50,000/– बतौर प्रतिभूति जमा करनी होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....
पता ....
दूरभाष नं. ....

दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एजेंट अनुबंध

यह कि अनुबंध आज दिनांक ....को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं श्री/मेसर्स ....जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। के मध्य निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधिन मिल्क पार्लर संचालक कार्य संपादित करेंगे।

1. (अ)– यह कि प्रथम पक्ष साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधि व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर साँची पॉर्लर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत करता हैं।

   (ब)– यह कि यह अनुबंध पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद दुग्ध संघ हित में आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। एक माह का अग्रिम नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डॉक द्वारा भेजा जाएगा, यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेन्टशीप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु द्वितीयपक्ष बाध्य होगा।

   (स)– यह कि अनुबंध निष्पादन तिथि से तीन वर्ष अर्थात निष्पादन तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील माना जावेगा। इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि के वित्तिय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक .... से प्रभावी होगी। यदि द्वितीयपक्ष पॉर्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार तीसरे वित्तिय वर्ष की दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा पॉर्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा। अवधि समाप्त होने के बाद या अनुबंध नवीनीकरण न करने पर रूपये 5000/–प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष पर अर्थदण्ड (जुर्माना) अधिरोपित किया जाएगा। तथा आवंटन निरस्त की कार्यवाही की जा सकेगी।

   (द)– यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा अनुबंध किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष का द्वितीयपक्ष की सुनवाई का अवसर देकर, स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जा जाएगा।

   (इ)– यह कि प्रथम पक्ष द्वारा एजेंसी निरस्त करने पर द्वितीयपक्ष को निर्धारित अवधि में पॉर्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह पॉर्लर का कब्जा कर ले जिसमें द्वितीयपक्ष को आपत्ति करने का अधिकार न होगा। प्रथम पक्ष

किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह पार्लर आवंटित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ई)– यह कि दोनों पक्षों में यदि विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आरबीट्रेशन हेतु अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ अथवा उनके नामांकित व्यक्ति को जो संदर्भित किया जावेगा एवं उनके द्वारा दिया गया आवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं कन्सीलिएशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत संपादित होगी।

(ड)– यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकारी सक्षम न्यायालय को होगा।

(ऊ)– समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन ही होगा।

2. (अ)– यह कि द्वितीयपक्ष इस नियुक्ति/आवंटन के वक्त पॉर्लर हेतु रूपये 50,000/– बतौर अमानत प्रथम पक्ष के पास जमा कराएगा। जिस पर कोई ब्याज देया नहीं होगा। आवंटन निरस्त होने, अनुबंध नवीनीकरण न करने पर यह जमानत राशि प्रथम पक्षकार द्वारा जब्त की जाएगी।

(ब)– यह कि भविष्य में अमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसे जमा करने हेतु द्वितीयपक्ष बाध्य होगा।

(स)– यह कि पॉर्लर संबंधि किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।

(द)– यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो संभ्रात व्यक्तियों की जमानत देना अनिवार्य होगा, तथा उक्त जमानतना में भी इस इकरार नामें के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीयपक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारी रहेगें। द्वितीयपक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीयपक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।

(इ)– यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा अमानत राशि वापसी का आवेदन करने पर वितरक का नो–ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर 01 माह भीतर ही अमानत राशि वापस की जाएगी।

3. (अ)– द्वितीयपक्ष को आवंटित इस डिपो/एजेंसी/पॉर्लर को नीचे दर्शाई गई समयावधि में खुला रखना अनिवार्य होगा।

समय	से	समय
प्रातः 6:00 बजे	से	दोपहर 12: बजे तक
दोपहर 2:00 बजे	से	रात्रि 10:00 बजे तक

(ब)– यह कि द्वितीयपक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित दुग्ध पदार्थो की विक्रय मुल्य तालिका पॉर्लर खुलने व बंद होने के समय तालिका पॉर्लर पर लगाना अनिवार्य होगा।

(स)– प्रथम पक्षकार द्वारा आंवटित पॉर्लर में सॉची दूध व सॉची दूध उत्पाद (घी, मक्खन, दही, श्रीखण्ड, लस्सी, मीठा दूध, पनीर, मावा, पेड़ा, गुलाब जामुन रसगुल्ला, काजु कतली, मिल्क केक, ठण्डाई, सादा मठ्ठा, नमकीन मठ्ठा,

चक्का, छेना रबड़ी, आम्रखण्ड, भविष्य में अन्य सॉची उत्पाद आदि प्रतिदिन लेना व विक्रय करना अनिवार्य होगा, विक्रय न करने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जाकर चस्पा किया जाएगा। सुधार न आने प्र प्रथम नोटिस एवं रूपये 1000/– जुर्माना द्वितीय बार नोटिस एवं रूपये 2000/– जुर्माना व फिर भी अनुबंध के उल्लंघन या सुधार न आने पर तृतीय बार नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी, यदि द्वितीयपक्षकार जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसकी दूध एवं दुग्ध उत्पाद की सप्लाई रोकी जाकर आवंटन निरस्त की भी कार्यवाही की जाएगी। सॉची पॉर्लर/बूथ अपने यहां किसी भी अन्य कंपनी का प्रचार–प्रसार नहीं करेंगे, दुग्ध पदार्थों का प्रदर्शन स्थल पर पेम्पलेट/साइनबोर्ड/प्रदर्शित करेंगे, सॉची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का प्रदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। सॉची के साईनबोर्ड पर किसी अन्य कम्पनी की साझेदारी या विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। मात्र सॉची का साइनबोर्ड मान्य होगा।

(द)– उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुंच सेवा चाहता है, तो द्वितीय पक्ष पर पहुंच सेवा के लिए बाध्य होगा। घर पहुंच सेवा न देने पर प्रथम पक्ष एजेन्टशीप निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(इ)– पार्लर एजेन्ट को दोनों समय (सुबह–शाम) सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय करना अनिवार्य होगा।

4. (अ)– यह कि मिल्क पॉर्लर पर प्रथम प्रथम पक्ष दुग्ध संघ का स्वामित्व है जो कि जिला चिकित्सालय आगर की भूमि पर स्थित है के हस्तांतरण/विक्रय/किरायेपर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने साँची पॉर्लर को किसी भी अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो संबंधित पर अन्य कार्यवाही के साथ–साथ पुलिस एफ.आई.आर./वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

(ब)– यह कि नगर निगम से पॉर्लर द्वारा विक्रय किये जा रहे पदार्थों का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से करना होगा, तथा नियमानुसार लाईसेंस फीस नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा।

(स)– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानुन अथवा उपनियम का पालन आवश्यक करना होगा। नप–तौल विभाग, नगर निगम खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गया किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।

(द)– यह कि पॉर्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी रहेगी, तथा उसका तापमान 4–6 डिग्री रखकर सॉची दूध वं दुग्ध उत्पाद का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाये रखना अनिवार्य होगा।

(इ)— यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पॉर्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा, जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों की प्रतिस्पर्धी हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो। अर्थात अन्य कंपनी के दूध या दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित हो। इसके अतिरिक्त बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकु, पान, मसाला, मदिरा, आदि आपत्तिजनक वस्तुएं पॉर्लर से विक्रय करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगी। ऐसा पाये जाने पर पॉर्लर आवंटन निरस्त किया जायेगा है।

(ई)— यह कि पॉर्लर पर होने वाले व्यय जैसे— भूति, किराया, विद्युत, पानी व अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय एवं द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा, एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।

(ऊ)— यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे, न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देंगे न ही किसी को विक्रय करेंगे। इस पॉर्लर का स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे।

5. (अ)— प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा बैंक में जमा कराया जाना होगा। यदि किसी दिन बैंक का अवकाश हो तो, आवकाश दिन तथा कार्यालयीन दिवस में प्रदाय की गई दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ सामग्री राशि बैंक के कार्यालयीन दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा। वितरक की राशि जमा न करने पर वितरक को दूध प्रदाय न करने का अधिकार रहेगा। लेकिन इसकी पूर्व सूचना दुग्ध संघ को देना अनिवार्य होगा।

(ब)— क्योंकि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृति एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं का लेन—देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्त प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।

(स)— यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों पर ही माल (एम.आर.पी.) (मैक्सिमम रिटेल प्राईज) पर विक्रय करना होगा। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(द)— साँची पॉर्लर/बूथ पर सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थ के अलावा किसी अन्य कंपनी का दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नहीं रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे। पॉर्लर के अंदर भी सांची दूध व दूध उत्पादों को प्रदर्शन अनिवार्य होगा। प्रथम पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा, तो संबंधित पॉर्लर बूथ संचालक को यह रखने एवं विक्रय करना अनिवार्य होगा।

(इ)— प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कॉर्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा—जोखा द्वितीय पक्ष

को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि का पूर्ण रूपया उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई किसी भी तरह की हेरा फेरा या इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि में की गई हेरा–फेरा गंभीर धोकाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा। तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानुनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सकेंगे।

(ई)– विक्रय एजेन्ट द्वारा दुग्ध विक्रय एवं अग्रिम कार्ड की राशि नगदी के रूप में शाखा के किसी भी कर्मचारी के नगदी में न दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नगदी राशि दी जाती है, तो उसकी प्राप्ति आवश्यक ली जावे।

6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील संस्था आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे, एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति का उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।

7. यह कि संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे, इस संबंध तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे, यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज़/बगैर सील की कोई ईकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। सभी सांची पॉर्लर/बूथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन कराने लाईसेंस प्राप्त करने व नियमों का पालन हेतु बाध्य रहेंगे।

8. यह कि पॉर्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो समान, फर्नीचर, एवं फिक्चर्स उपलब्ध कराये है, एवं भविष्य में उपलब्ध कराये जायेंगे एवं केन, क्रेट्स, बॉटल प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट–फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मुल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।

9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रदाय किये गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेट्, बॉटल की का लेखा–जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को प्रस्तुत करना होगा। प्रथम पक्ष के खाली क्रेट्स का स्वयं उपयोग करने/बेचने पर द्वितीय पक्ष को नोटिस देकर कार्यवाही की जाएगी।

10. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंवे दुग्ध संघ प्रथम पक्षकार द्वारा की जाने वाली मासिक/त्रेमासिक

मीटिंग करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

11. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय–समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना या पॉर्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।

12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर दिए गए पॉर्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधन कारक रहेगा।

13. यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, उसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।

14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पॉर्लर आवंटन की स्थिति में न्यूनतम लक्ष्य प्रतिदिन 100 लीटर दूध विक्रय व रूपये 1000/– का दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय करना अनिवार्य होगा। इसमें परिवर्तन/शिथिलता व संशोधन करने का अधिकार प्रथम पक्षकार के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकरी के पास रहेगा, समय–समय पर उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक होगी, लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकने पर प्रथमतः चेतावनी नोटिस जारी की जाएगी तदोपरांत प्रथम बार आर्थिक जुर्माना 1000 रूपये एवं द्वितीय बार नोटिस देने पर रूपये 2000 व दुग्ध प्रदायगी रोकने की कार्यवाही की जाएगी तृतीय बार निर्देशों का पालन न करने पर पॉर्लर आवंटन निरस्त कर अन्य को अवंटन की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी।

15. साँची पॉर्लर/बूथ संचालक प्रतिमाह दूध व दुग्ध पदार्थों की बिक्री की लिखित जानकारी वितरक के माध्यम से दुग्ध संघ को प्रदाय करेंगे, तथा संघ द्वारा दिये गए लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे न करने पर अर्थदण्ड रूपये 1000/– या अधिक जुर्माना किया जावेगा।

16. यह कि अगर बूथ पॉर्लर लगातार 30 दिवस रहता है तो उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को यह अधिकार होगा कि वह बूथ/साँची मिल्क पॉर्लर को हटा सकता है एवं अमानत राशि को राजसात कर सकता है एवं अन्य को बूथ/पॉर्लर आवंटित कर सकता है।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभयपक्षों ने पढ़कर समक्ष ली है, एवं पूर्ण होंश हवांस में बिना दबाव क हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई है।

मैं ....श्री/श्रीमती ....संबंध......................
............नामनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता/करती हुं।

दिनांक ....स्थान..

मिल्क पॉर्लर संचालक

हस्ताक्षर ....
नाम..
पता ....

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन –456010	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) मिल्क पॉर्लर संचालक नाम.. पता..

हस्ताक्षरसाक्ष्य – 1
नाम : ....
पताः...

हस्ताक्षरसाक्ष्य – 1
नाम :...
पताः ....

<u>जमानत–नामा</u>

<u>(रूपये 100 के नॉनज्युडिशियल स्टॉम्प पर)</u>

मैं जमानतदार–

नाम ....

निवासी– ....

(निवास का प्रमाण पत्र एवं फोटो आई.डी. की छायाप्रति संलग्न की जावें।)

यह जमानतनामा लिख देता हु कि प्रथम पक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन एवं द्वितीयपक्ष श्री.. द्वारा जो अनुबंध पत्र लिखा गया है, इस अनुबंध पत्र अनुसार प्रथम पक्ष को कोई हानि/नुकसान होती है तो उसके लिये पूर्ण नुकसान की भरपायी की जवाबदारी मेरी रहेगी । सदर नुकसानी/हानि यदि द्वितीयपक्ष ने अदा नहीं की तो उसे मैं भुगतान करूंगां। या प्रथम पक्ष द्वारा मेरी चल अचल संमत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेगें।

सदर जमानतनाम प्रथम पक्ष ने द्वितीयपक्ष द्वारा लिखे गये अनुबंध की पूर्ती के जमानत बतौर हमने आजदिनांक ....को लिख दिया है।

दिनांक

हस्ताक्षर ....

(जमानतदार)

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नामः............................

पता.............................

हस्ताक्षर साक्ष्य – 2

नामः......................................

पता..

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
स्वयं द्वारा सत्यापित वचन पत्र का प्रारूप
(कॉम्प्यूटराईज्ड टंकित सामन्य पेपर पर)

नाम	–	....
पिता	–	....
आयु	–	....
निवासी	–	....

उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा नगर परिषद् जावरा क्षेत्र .... में साँची मिल्क पॉर्लर एजेन्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है, जिसमें मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त स्व–प्रमाणित पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर ....**

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी

स्वयं द्वारा सत्यापित वचन पत्र का प्रारूप

(कॉम्प्यूटराईज्ड टंकित सामन्य पेपर पर)

नाम –

पिता –

आयु –

निवासी –

1– उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा नगर परिषद् जावरा क्षेत्र .... में साँची मिल्क पॉर्लर एजेन्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर ....**

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त स्व–प्रमाणित पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर ....**

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर ....**